एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, (छ: ग:)

दां० अ० क्रं 759 सन् 2004

अपीलार्थी	:	कांक्षीनाथ त्रिगुण, आयु लगभग 46 वर्ष पुत्र स्व० श्री अलियार त्रिगुण, जाति – ब्राह्मण, निवासी– ग्राम–मुनुवान, पोस्ट कर्रा, थाना एवं तहसील – राजपुर, जिला सरगुजा, रायपुर, छ. ग.

बनाम

उत्तरवादी	:	छत्तीसगढ़ राज्य

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 454 के अंतर्गत दांडिक अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2005:CGHC:4559
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक दांडिक अपील क्र. 759/2004

14/02/2005

श्री सुशील दुबे, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री रवीन्द्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य।

तर्क सुने गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वर्तमान अपील प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा एम.जे.सी. क्रमांक 5/04 में पारित आदेश दिनांक 16/8/2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत वस्तु की वापसी के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के पुत्र जितेंद्र तिवारी को अपराध क्रमांक 453/96, थाना राजपुर, जिला सरगुजा के संबंध में भा. द. वि. की धारा 307 और 294 के साथ-साथ आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर के समक्ष सत्र प्रकरण क्रमांक 379/96 में अभियोजित किया गया था। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् आरोपी को दिनांक 1/4/1998 के निर्णय के तहत दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए विचारण न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब्त की गई बंदूक आवेदक/वर्तमान अपीलार्थी कांशीनाथ को दो महीने के भीतर वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने पर वापस कर दी जाए, अन्यथा इसे समपहरण कर लिया जाएगा। तत्पश्चात, आवेदक ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष जब्त बंदूक की वापसी के

लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उन्हें कोई सूचना नहीं थी। उपरोक्त आवेदन दिनांक 16/08/2004 को खारिज कर दिया गया।

आवेदक/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दुबे ने कथन किया कि आवेदक को 17/1/2004 को निर्णय के बारे में पता चला और उसने 6/2/2004 को वस्तु की वापसी के लिए आवेदन दायर किया। यह कहा गया है कि दो महीने के भीतर वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने का आदेश संज्ञान में आने की दिनांक से माना जाएगा न कि निर्णय की दिनांक से यह तर्क दिया गया है कि आवेदन समय के भीतर दायर किया गया है और अनुज्ञप्ति प्रस्तुत किया गया है। उक्त अनुज्ञप्ति 27/11/2002 से 7/11/2005 तक वैध है। यह भी तर्क दिया गया है कि ऐसे शब्द उद्धृत किए गए हैं जो आदेश में नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (2002 ए.आई.आर एस.सी.डब्लू 5301)** की प्रकाशित निर्णयज विधि तथा **एन. माधवन बनाम केरल राज्य (एआईआर 1979 एससी 1829)** में प्रकाशित मामलों के निर्णय में तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा **बैकुंठनाथ मोहंता बनाम राज्य (1996 सीआर.एल.जे. 661)** में प्रकाशित मामले के निर्णय का अवलंब लिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने **एन. माधवन** (पूर्वोक्त) मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> *"जब जांच या विचारण के बाद अभियुक्त को उन्मोचित या दोषमुक्त किया जाता है, तो न्यायालय को सामान्यतः वह संपत्ति, जो उसके समक्ष प्रस्तुत की गई है या जो उसकी अभिरक्षा में है, उस व्यक्ति को लौटा देनी चाहिए, जिसकी अभिरक्षा से वह ली गई हो। सामान्यतः इस नियम को हल्के में लेकर विचलन नहीं किया जाना चाहिए जब इस बात पर कोई विवाद या संदेह न हो कि संपत्ति ऐसे अभियुक्त की अभिरक्षा से जब्त की गई थी और उसकी थी।"*

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने **बैकुंठनाथ** (पूर्वोक्त) मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"इस मामले में, अभिलेख से दर्शित है कि अनुज्ञप्ति और बंदूक अभियुक्त से जब्त की गई थी जैसा कि प्रदर्श.3 और 4 से स्पष्ट है। संपत्ति की जब्ती का आदेश उस व्यक्ति की सुनवाई के बिना नहीं दिया जाना चाहिए जो जब्ती के आदेश से प्रभावित और पक्षपात का शिकार हो सकता है। यह सच है कि धारा के अनुसार नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब किसी आदेश से कार्यवाही में किसी व्यक्ति पर पक्षपात होने की संभावना होती है, तो प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। वैवेकिक शक्तियों के प्रयोग में नैसर्गिक न्याय के प्राथमिक नियमों की अवज्ञा या अनवेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि संपत्ति के व्ययन के प्रश्न पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। हालांकि यह सभी मामलों में आवश्यक नहीं हो सकता है, फिर भी इस मामले में जहां यह दिखाने के लिए सामग्री है कि अभियुक्त/अपीलार्थी से बंदूक जब्त की गई थी, लेकिन समपहरण को उचित ठहराने वाली सामग्री मौजूद है, प्रभावित व्यक्ति को सुना जाना चाहिए। जो कुछ भी बाधा बन सकता है, वो धारा 313 के तहत दर्ज किए गए कथन में प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है। विद्वान विचारण न्यायाधीश को अपीलार्थी को अपने मामले को विचार के लिए प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए था।

अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि अभियुक्त को न केवल भा. द. वि. की धारा 307 और 294 बल्कि आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया है एवं आवेदक को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। संपत्ति/बंदूक आवेदक की है। यह एक मूल्यवान वस्तु है। आवेदक के पास अनुज्ञप्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आवेदक ने संज्ञान होने की तिथि से अवधि के भीतर 6/2/2004 को आवेदन दायर किया था। वैसे भी प्रावधान ऐसा है कि जब न्यायालय कोई आदेश पारित करती है, तो उसे इस तरह से समझा जाना चाहिए कि यह ऐसा न हो, जो किसी व्यक्ति को उसके अर्जित अधिकार से वंचित करे।

परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने तथा उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, याचिका स्वीकार की जाती है। न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16/8/2004 को आपस्त किया जाता है। जब्त की गई वस्तु अर्थात बंदूक आवेदक को वापस की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Aayush Bhatia, Advocate